# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

**पीठासीन अधिकारी** : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

**राजस्व वाद संख्या** : 1878/2017

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

गेपरराम पुत्र धोकलराम जी
जाति कुमावत,निवासी-ग्राम
सांगावास, तहसील-जैतारण
जिला-पाली राज0

तहसीलदार जैतारण,
जिला-पाली

**राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 LR Act.**

तारीख रजू:. 8/11/2017

उपस्थित:- 1. श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।

**-:: निर्णय ::-** **दिनॉक:- 05/02/2018**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा ग्राम सांगावास पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण जिला-पाली में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 07 रकबा 17-11 बीघा, खसरा नंबर 7/219 रकबा 0-06 बीघा, खसरा नंबर 7/220 रकबा 1-04, खसरा नंबर 7/221 रकबा 13-11 बीघा, खसरा नंबर 08 रकबा 1-12 बीघा, खसरा नंबर 20 रकबा 43-15, खसरा नंबर 05 रकबा 26-10 बीघा, की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी अपने हिस्से पर मौके पर काबिज है, प्रार्थी का हिस्सा जमाबंदी संवत 2062 से 2065 एवं इससे पूर्व की सभी जमाबंदीयों में 13/64 वां हिस्सा अन्य सहहिस्सेदारों रिछूडी पत्नि मोहनीया के साथ इन्द्राज चला आ रहा था, जो हिस्सा सही था, परन्तु आगामी जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में प्रार्थी का गलत हिस्सा 3/64 वां इन्द्राज कर दिया गया है। जबकि वास्तव में प्रार्थी का उपरोक्त वर्णित आराजी में 13/64 वां हिस्सा ही बनता है। नकल जमाबंदीया प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी ने अपना हिस्सा गलत इन्द्राज हो जाने से अप्रार्थी के समक्ष जरिये शुद्धिपत्र के हिस्सा दुरुस्त कराने हेतु शुद्धिपत्र पेश किया, परन्तु उक्त शुद्धि पत्र पेश करने के बावजूद भी प्रार्थी का हिस्सा सही दर्ज नही किया गया एवं पुनः शुद्धि पत्र का हवाला देकर गलत हिस्सा 03/64 का अंकन कर दिया है जो एक रोंग एन्ट्री है, जिसे दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी के पेश है। प्रार्थी ने शुद्धिपत्र के जरिये अपना हिस्सा दुरुस्त कराने का आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त भी उसका हिस्सा 13/64 वां दुरुस्त नही किया गया तब दिनांक 27-10-2017 को प्रार्थी ने अप्रार्थी के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रेकर्ड मे लिपिकिय भूल का शुद्धिकरण करने बाबत पेश किया जिस पर अप्रार्थी ने स्पष्ट शब्दों मे उसको इन्कार कर दिया है व कहा कि इस हेतु आप सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र/कार्यवाही नाम दुरुस्ती की करावे। तब प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड मे दुरुस्ती का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबर में अन्य सह खातेदारान भी है परन्तु प्रार्थी को उनके विरूद्ध किसी प्रकार से कोई अनुतोष प्राप्त नही चाहा है इसलिए उनको पक्षकार नही बनाया गया है।उपरोक्त वर्णित आराजी मौजा सांगावास तहसील जैतारण जिला-पाली राज0 मे स्थित होने से श्रीमान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जी के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार मे होने से सुनवाई किये जाने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त है। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हिस्सा को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नाटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्राथ्रना पत्र पेश किया कि ग्राम सांगावस के खसरा नम्बर 7, 7/219, 7/220, 7/221, 8, 20 व 5 में वादी का रिछुड़ी पत्नि मोहनिया के साथ हिस्सा 3/64 के बजाय 13/64 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित हैं। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सं. 2062-65 का गहनता से अवलोकन किया गया। वस्तुतः जमाबन्दी सं. 2062-65 में प्रार्थी का हिस्सा रिछुड़ी पत्नि मोहनिया के साथ 13/64 दर्ज है। वर्तमान में दर्ज हिस्सा 3/64 के स्थान पर 13/64 दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व मौजा ग्राम सांगावास पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण जिला-पाली में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 07 रकबा 17-11 बीघा, खसरा नंबर 7/219 रकबा 0-06 बीघा, खसरा नंबर 7/220 रकबा 1-04, खसरा नंबर 7/221 रकबा 13-11 बीघा, खसरा नंबर 08 रकबा 1-12 बीघा, खसरा नंबर 20 रकबा 43-15, खसरा नंबर 05 रकबा 26-10 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का रिछुड़ी पत्नि मोहनिया के साथ दर्ज हिस्सा 3/64 के स्थान पर 13/64 हिस्सा दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 05/02/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जिला.पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner